रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली शुक्रवार, जून 28, 2013/आषाढ़, 7, 1935

No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2013/ASADHA 7, 1935

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

संकल्प

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

मद सं- 61/2013

छत्तीसगढ़ विधिज्ञ परिषद् के उपसचिव से प्राप्त तारीख 2-1-2013 के पत्र सं.1372/2013 पर नामांकन फीस में वृद्धि के अनुमोदन की ईप्सा करने के लिए विचार करने हेतु

संकल्प सं. 32/2013.—परिषद् ने छत्तीसगढ़ विधिज्ञ परिषद् के उपसचिव से प्राप्त तारीख 2-1-2013 के पत्र सं. 1372/2013 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की विधिज्ञ परिषद् द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार किया है । परिषद का एक मत है कि पूर्व में निर्धारित नामांकन फीस की रक़म बहुत कम है और वर्ष 1961 के पश्चात् इसे कभी भी पुनरीक्षित नहीं किया गया है । परिषद् यह संकल्प लेती है कि प्रति अभ्यर्थी नामांकन फीस 6000 रु. होगी और अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह 3000 रु. होगी । यह उपबंध संपूर्ण देश में लागू होगा तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसमें से 20% रक़म सभी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजी जाएगी । यह नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही प्रभावी हो जाएगा । कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि प्रकाशन के तुरंत पश्चात् इस संकल्प की सूचना सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों और देश की सभी बार एसोसिएशनों को भेज दें । यह स्पष्ट किया जाता है कि यह संकल्प केवल नामांकन फीस तक ही सीमित है तथा विभिन्न राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा नियत या विहित अन्य प्रभार उनकी अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार लागू होंगे ।

कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत पश्चात् यह संकल्प, सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को परिचालित करेगा ।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/96/13]

BAR COUNCIL OF INDIA

RESOLUTION

New Delhi, the 26th June, 2013

Item No. 61/2013

To consider letter No. 1372/2013 dated 2-1-2013 received from Deputy Secretary from Bar Council of Chhattisgarh for seeking approval of enhancement of Enrolment fees.

No. 32/2013.—The Council has considered the proposal made by the State Bar Council of Chhattisgarh received through letter No. 1372/2013 dated 2-1-2013 of Deputy Secretary from Bar Council of Chhattisgarh. The Council is of the unanimous view that the enrolment fee fixed earlier is too less amount and it has never been revised after the year 1961. The Council resolves that the enrolment fee per candidate will be Rs. 6,000 and for SC/ST candidates, it should be Rs. 3000. This provision is applicable throughout the country and out of this as per the provisions of the Act, 20% amount is to be sent to Bar Council of India by all the State Bar Councils. These Rules will come into effect the day it is published in the Gazette of India. Soon after the publication the office is directed to communicate this resolution to all the State Bar Councils and all the Bar Associations of the country. It is made clear that this resolution is confined to the enrolment fee only and the other charges fixed or prescribed by the different State Bar Councils would be applicable as per their own suitability.

The office is to circulate this resolution to all the State Bar Councils soon after the Gazette notification.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./96/13]

संकल्प

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

मद संख्या 69/2013

कर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अतिरिक्त नियमों का प्रस्ताव और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य का निर्वाचन और उसके हटाये जाने से संबंधित नियमों के प्रस्ताव के बारे में कर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् से प्राप्त पत्र संख्या 356/2013, तारीख 13–02–2013 पर विचार करना।

संकल्प संख्या 34/2013.—परिषद् ने विषय पर विचार किया है और पूर्णरूप से विचार करने के उपरांत यह विनिश्चय किया गया है कि कर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् को सूचित किया जाए कि "अविश्वास प्रस्ताव" आरम्भ करने या उसे लाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों या भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमों के अनुसार कोई नियम राज्य विधिज्ञ परिषद् में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के प्रतिनिधि/सदस्य के विरूद्ध किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में नहीं लाया जा सकता। परिषद् यह संकल्प करती है और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरूद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" के संबंध में माननीय सदस्यों, श्री फैजल रिजवी, श्री विजय भटृ, श्री टी एस अजीथ, श्री दिनेश पाठक, श्री नीलेश कुमार और श्री रमेश चन्द्र जी साह द्वारा प्रस्तावित भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम, भाग दो के नियम 22 के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, उसे भारतीय विधिज्ञ परिषद् में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों द्वारा ही आरम्भ किया जा सकता है, परिषद् के 21 सदस्यों में से कम से कम 17 सदस्यों को अध्यपेक्षा को हस्ताक्षरित करना होगा और संकल्प को पारित करना होगा। ऐसा पदाधिकारी/सदस्य जिसके विरूद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" पर विचार किया जाना है उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा और **सभा के 21 सदस्यों में से कम से कम 17 सदस्य संकल्प पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसे पारित करेंगे।** पहले कारण साबित/सिद्ध किए जाने चाहिएं; केवल तभी "अविश्वास प्रस्ताव" किसी सदस्य या पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास का प्रबन्ध न्यासी या सहयोजित प्रबन्ध न्यासी व सदस्य) के विरूद्ध लाया जा सकता है।

अधिनियम और नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के प्रतिनिधि/सदस्य के विरूद्ध कोई गंभीर आक्षेप/आरोप है तो वह अपना संकल्प भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेज सकती है और वह उपरोक्त संशोधित नियम (भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियम 22) के आलोक में विनिश्चय कर सकेगी। परन्तु कोई "अविश्वास प्रस्ताव" किसी सदस्य या पदाधिकारी के साबित अवचार अथवा यदि वह नैतिक

अधमता का दोषी पाया गया है और कम से कम दो वर्ष तक का दंडादेश भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है की दशा में ही लाया जा सकता है या पारित किया जा सकता है।

राज्य विधिज्ञ परिषदें अपने अध्यक्षों अथवा उपाध्यक्षों के विरूद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" लाने के लिए अपने ही नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन होगा परन्तु नियम में इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए कि वह समूहवाद को प्रोत्साहन न दे अथवा संबद्ध परिषद् की स्थिरता कारित न करे।

परन्तु यह कि "अविश्वास प्रस्ताव" का संकल्प भारतीय विधिज्ञ परिषद् सहित किसी परिषद् द्वारा तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रस्ताव के संबद्ध में विस्तृत कारणों सहित ऐसे प्रस्ताव को लाने के आश्य की सूचना कम से कम तीस दिन पहले संबद्ध सदस्य या पदाधिकारी को न दे दी गई हो।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के इन नियमों को अथवा इस संकल्प को इसी प्रक्रिया द्वारा संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है; इक्कीस सदस्यों में से कम से कम सत्रह सदस्यों को संशोधन या परिवर्तन का प्रस्ताव करना होगा, प्रस्ताव पर उनके पूर्ण हस्ताक्षर भी होने हैं और संशोधन के लिए संकल्प इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित बैटक में ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करने वाले कम से कम 17 सदस्यों द्वारा पारित किया जा सकता है।

कार्यालय को भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों में इन संशोधनों/नियमों को अन्तःस्थापित करने के लिए कदम उठाने हैं और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करवाना है। इन नियमों को परिषद् के स्थायित्व और निर्बाध कार्यकरण के लिए और अनाधिकृत समूहवाद को हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ये नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के नियम 22 का संशोधन करेंगे। कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि वह उसे राजपत्र में प्रकाषित करवाए।

जहां तक राज्य विधिज्ञ परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या अन्य प्राधिकारियों से संबंधित विषय का संबंध है, कर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा किया गया प्रस्ताव/ बनाया गया नियम अनुमोदित किया जाए और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। परन्तु यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि परिषद्, कर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों को, जहां तक इनका संबंध उस राज्य से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य से है, अनुमोदित नहीं करती है।

जे. आर शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/96/13]

RESOLUTION

New Delhi, the 26th June, 2013

Item No. 69/2013

To consider the letter No. 356/13 dated 13-2-2013 received from Karnataka State Bar Council regarding proposal of additional rules to the Election of Chairman and Vice-Chairman of Karnataka State Bar Council and proposal of rules relating to the Election and removal of the member of the Bar Council of India.

No. 34/2013.—The Council has considered the matter and after a thorough consideration it is decided that the State Bar Council of Karnataka may be informed that no rule as per the provisions of the Advocates Act, 1961 or Bar Council of India Rules, for initiating or the brining "No confidence motion" can be brought in any State Bar Council against the representative or member of Bar Council of India in the State Bar Council. The Council resolves and approves the proposal of amendment of Rule 22 of Bar Council of India Part-II proposed by Hon'ble Members Mr. Faisal Rizvi, Mr. Vijay Bhatt, Mr. T.S. Ajith, Mr. Dinesh Pathak, Mr. Nilesh Kumar and Mr. Ramesh Chandra G. Shah with regard to "No confidence motion" as against any member or Office Bearer of Bar Council of India can be initiated only by the Members of Bar Council of India, at the Bar Council of India, at least 17 out of 21 Members of the Council shall have to sign the requisition and pass the resolution. The office bearer or member against whom "No confidence motion" is to be considered shall not preside over that meeting. And at least 17 out of 21 members of the House should put their signatures and pass the resolution. The reason should be proved / established first; only then "no confidence motion" could be brought against any member or office bearer (Chairman, Vice-Chairman, Chairman Executive Committee, Vice-Chairman, Executive Committee, Managing Trustee or Associate Managing Trustee of Bar Council of India Trust, Member).

Notwithstanding anything contained in the Act and Rule it is also made clear that if any State Bar Council has any serious objection/allegation against the representative/Member of Bar Council of India, its can send it resolution to the Bar Council of India and it may take a decision in the light of above amended rules (of Rule 22 of Bar Council of India).

Provided that any "No confidence Motion" can be brought or passed only in case of proved misconduct, of any member or office-bearer OR if he has been found guilty of some offence involving moral turpitude and has been sentenced to undergo imprisonment for at least 2 years. Such people would not be eligible to be the members of any State Bar Council even.

The State Bar Councils are at liberty to frame their own Rules for bringing "No confidence Motions" against their Chairman or Vice-Chairman: Such Rule would be subject to approval of Bar Council of India. But the Rules should take into consideration and take care of the fact that it should not encourage groupism or cause instability of the concerned Council.

Provided that no resolution of "No Confidence Motion" can be moved by any Council including Bar Council of India unless at least 30 days of prior notice is given to the concerned Member or office bearer of the intention to move such resolution with detailed reason for such motion.

These Rules of Bar Council of India or this resolution can be amended or changed by the same procedure; at least 17 out of 21 Members shall have to propose the amendment or change, their full signature on the proposal has to be there, and the resolution or amendment can be passed by the at least 17 members supporting such proposal in the meeting notified for this purpose.

Office is to take steps for inserting these amendments/Rules in Bar Council of India Rules and to get it published in the Gazette. These Rules are made for stability and smooth functioning of the Council and discourage unwarranted groupism. These Rule shall amend Rule 22 of Bar Council of India Rules. Office is directed to get it published in the Gazette.

So far the matter with regard to the Chairman and the Vice-Chairman or other office-bearers of State Bar Councils are concerned, the proposal / Rule made by the State Bar Council of Karnataka be and is hereby approved. But it is again made clear that the Council does not approve the rules framed by the State Bar Council of Karnataka so far it relates to the Member of Bar Council of India from that State.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./96/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.